भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

दिनांक 21 फरवरी, 2022

संख्याः 4730 /भू0खनि0ई0/खनन/आई0टी सैल (12)/2020–21

कार्यालय ज्ञाप

ई–रवन्ना पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्टोन केशर एंव स्कीनिंग प्लान्ट द्वारा राज्य के भीतर तथा राज्य से बाहर कय–विकय किये जाने से राजस्व की क्षति हो रही है। ई–रवन्ना पोर्टल के **Minerals Sales/Purchase Permission Log** के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्कीनिंग प्लान्ट द्वारा उपखनिजों के कय–विकय के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिये जा रहे है:–

1. स्कीनिंग प्लान्ट में बजरी का कय बन्द किया जाना है। **(एक स्कीनिंग प्लान्ट द्वारा अन्य दूसरे स्कीनिंग प्लान्ट/स्टोन केशर/रिटेल भण्डारण से बजरी कय किये जाने के कारण)**

2. स्कीनिंग प्लान्ट द्वारा राज्य के बाहर बोल्डर का विकय बन्द किया जाना है। **(उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एंव भण्डारण का विवरण) नियमावली 2021 के अध्याय–एक के बिन्दु संख्या–05 के उप बिन्दु संख्या–02 के** प्रावधानानुसार **राज्य के बाहर से आर0बी0एम0 एंव बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नही होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा उल्लिखित है।)**

अतः उपरोक्त वर्णित वस्तुस्थिति के दृष्टिगत ई–रवन्ना पोर्टल के **Minerals Sales/Purchase Permission Log** में उत्तराखण्ड राज्य के स्कीनिंग प्लान्ट द्वारा राज्य के बाहर बोल्डर का विकय तथा स्कीनिंग प्लान्ट में बजरी का कय बन्द किया जाता है।

तद्नुसार ई–रवन्ना पोर्टल को अपडेट किया जाता है।

21/2/2022
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्याः 4730 /भू0खनि0ई0/खनन/आई0टी सैल (12)/2020–21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।

21/2/2022
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक